

फैवट सीट

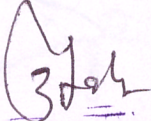
1. परियोजना का नाम:— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

2. प्रभावित भूमि का बैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेअर में) :—

आरक्षित वन भूमि	:—	0.00	
सिविल एवं सोयम वन भूमि	:—	6.522 हे०	
वन पंचायत भूमि	:—	0.63 हे०	
निजि भूमि	:—	0.00 हे०	
	:—	1.312 हे०	
योग		8.464 हे०	

3. प्रस्तावक विभाग का नाम — निर्माण खण्ड लो०मि०वि० चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) :—
4. वन प्रभाग का नाम — 1. कोटबंगला वनप्रभाग उत्तरकाशी :—
2. अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट
5. प्रस्ताव बांझिङिंग किया गया है— :— हाँ नहीं
6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है :— हाँ नहीं
7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग :— हाँ नहीं
8. क्या प्रारूप वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। :— हाँ नहीं
9. प्रस्तावित क्षेत्र हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। :— हाँ नहीं
10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है। :— हाँ नहीं
11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षण का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। :— हाँ नहीं
12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अध्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हे कम करने का क्या प्रयास किया गया है। :— हाँ नहीं
13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। :— हाँ नहीं
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। :— हाँ नहीं
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षा रोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव संलग्न है। :— हाँ नहीं
16. क्या मानचित्र में क्षति पूरक वृक्षा रोपण स्थल को दर्शाया गया है। :— हाँ नहीं
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षों रोपण योजना संलग्न है। :— हाँ नहीं
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। :— हाँ नहीं
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी, कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। :— हाँ नहीं
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। :— हाँ नहीं
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। :— हाँ नहीं
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।)
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को :— हाँ नहीं
शान्त शान्त जंगल तो शान्त जंगल है।

23.	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है।	:-	हाँ	नहीं
24.	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।	:-	हाँ	नहीं
25.	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।	:-	हाँ	नहीं
26.	सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/बैकल्पिक समरेखण मानचित्र	:-	हाँ	नहीं
27.	बैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)	:-		
28.	लागत, लाभ, विश्लेषण मात्रात्मक रूप में (5 हेक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा।)	:-	हाँ	नहीं
29.	मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है।	:-	हाँ	नहीं
30.	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।	:-	हाँ	नहीं
31.	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	:-	हाँ	नहीं
32.	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटों प्रतियां मूल में संलग्न प्रमाण-पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न की गई है तो क्या सत्यापित है।	:-	हाँ	नहीं
33.	यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है।	:-	हाँ	नहीं
34.	वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है।	:-	हाँ	नहीं
35.	क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है	:-	हाँ	नहीं
36.	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है।	:-	हाँ	नहीं


 सहायक अभियन्ता
 जनमाण खण्ड-महाराष्ट्र
 अधीनस्थ अधिकारी
 महाराष्ट्र